

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/सेवानिवृत्ति/जोन-जयपुर/502-27423/2024/ 229 दिनांक:- 8/4/24

आदेश

निम्नांकित कार्मिक, जिनकी राज्यसेवा में 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण हो रही है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	रमणी वी.के. म.स्वा.कार्यकर्ता	नीमकाथाना	20.04.1964	16.08.1990	30.04.2024

इनके विरुद्ध:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/सेवानिवृत्ति/जोन-जयपुर/502-27423/2024/ 229 दिनांक:- 8/4/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जयपुर।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ।
- संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ।
- प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
- प्रशासनिक अधिकारी, टी0सी0 अनुभाग, मुख्यालय।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref

6472459



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.04.05 11:52:45 IST
Reason: Approved